

कमार जनजाति की महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

दीपा¹ and डॉ. ए. राजशेखर²

¹शोधार्थी, भूगोल-विभाग

²प्रोफेसर, भूगोल-विभाग

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश: कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में शामिल एक महत्वपूर्ण जनजातीय समुदाय है। राज्य में कमार जनजाति का प्रमुख विस्तार गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद तथा कांकेर क्षेत्रों में पाया जाता है और गरियाबंद में कमार विकास अभिकरण की स्थापना भी की गई है। कमार महिलाओं का जीवन पारंपरिक आजीविका, सीमित आर्थिक संसाधनों, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों, सामाजिक रूढ़ियों तथा निर्णय-निर्माण में अपेक्षाकृत कम भागीदारी से प्रभावित रहा है। ऐसी परिस्थितियों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह सामूहिक बचत, आंतरिक ऋण, कौशल विकास, आय-सृजन, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व निर्माण तथा सामाजिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं।

छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों से भी यह संकेत मिलता है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य कमार जनजाति की महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषण करना तथा यह समझना है कि समूह-आधारित सामूहिकता किस प्रकार महिलाओं की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक निर्णय-निर्माण, नेतृत्व, शिक्षा, गतिशीलता और सामुदायिक सहभागिता को प्रभावित करती है।

मुख्य संकेतक: जनजातीय महिलाएँ, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक सहभागिता, नेतृत्व, ग्रामीण विकास।

1. परिचय

भारत में जनजातीय समाज सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण अंग है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक संरचना प्रकृति, स्थानीय संसाधनों, सामुदायिक परंपराओं और पारंपरिक आजीविका से गहराई से जुड़ी रही है। हालांकि आधुनिक विकास प्रक्रियाओं, बाजार अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सरकारी योजनाओं तथा संस्थागत हस्तक्षेपों के कारण जनजातीय समाज में धीरे-धीरे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इन परिवर्तनों में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएँ परिवार, कृषि, वनोपज संग्रह, पशुपालन, घरेलू उत्पादन तथा सामुदायिक जीवन में प्रत्यक्ष योगदान देती हैं।

कमार समुदाय को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के संबंध में सरकारी दस्तावेजों में कमार को पाँच विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में शामिल किया गया है। कमार समुदाय के लिए गरियाबंद में विशेष विकास अभिकरण का उल्लेख भी मिलता है। जनगणना 2011 की अनुसूचित जनजाति संबंधी सारणियों में भी छत्तीसगढ़ के लिए कमार जनजाति को पृथक जनजातीय श्रेणी के रूप में दर्ज किया गया है।

कमार महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन को केवल आर्थिक आय में वृद्धि के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी, सार्वजनिक



संस्थाओं तक पहुँच, सामुदायिक नेतृत्व तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता से भी है। इस दृष्टि से स्वयं सहायता समूह एक ऐसी सामूहिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं जो आर्थिक गतिविधि को सामाजिक चेतना से जोड़ती है।

छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूहों पर किए गए अध्ययनों ने इस भूमिका को प्रमाणित किया है। साहू और घोष के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सदस्यों के सशक्तीकरण में सुधार पाया गया तथा नेतृत्व और आय से संबंधित आयामों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। इसी प्रकार बिलासपुर क्षेत्र में किए गए अध्ययन में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन, निर्णय-निर्माण और सशक्तीकरण के सकारात्मक परिणाम सामने आए।

II. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व

कमार जनजाति की महिलाओं के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय महिलाओं का विकास बहुआयामी चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से सामाजिक स्थिति में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। इसके लिए शिक्षा, कौशल, सामाजिक जागरूकता, संस्थागत पहुँच, सामुदायिक सहभागिता और निर्णय लेने की क्षमता को समान रूप से विकसित करना आवश्यक है।

कमार समुदाय की महिलाओं के लिए समूह आधारित गतिविधियाँ सामूहिकता और सहयोग की भावना को मजबूत कर सकती हैं। नियमित बैठकें महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने, समस्याओं पर सामूहिक चर्चा करने तथा स्थानीय संस्थाओं से संपर्क स्थापित करने का अवसर देती हैं। बचत और ऋण गतिविधियाँ उन्हें साहूकारों या अनौपचारिक ऋण व्यवस्था पर निर्भरता कम करने में सहायता कर सकती हैं। दूसरी ओर प्रशिक्षण और आय-सृजन गतिविधियाँ महिलाओं को घरेलू भूमिका से आगे बढ़कर उत्पादक और उद्यमशील भूमिका ग्रहण करने का अवसर देती हैं।

कमार और बिरहोर समुदायों के लिए क्षमता-विकास और सतत आजीविका से संबंधित एक सरकारी अभिलेखित परियोजना में कौशल विकास, आजीविका, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और डिजिटल तकनीक के माध्यम से क्षमता निर्माण पर बल दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि कमार महिलाओं के विकास में आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ संस्थागत क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है।

III. स्वयं सहायता समूह और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा

स्वयं सहायता समूह सामान्यतः समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाली महिलाओं का छोटा सामूहिक संगठन होता है, जिसमें सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं, आंतरिक ऋण व्यवस्था संचालित करते हैं और आवश्यकता के अनुसार बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुड़ते हैं। समय के साथ इन समूहों की गतिविधियाँ वित्तीय लेन-देन से आगे बढ़कर कौशल विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता और स्थानीय शासन में सहभागिता तक विस्तृत हो जाती हैं।

सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में स्वयं सहायता समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिकता है। व्यक्तिगत रूप से कमजोर महिला जब समूह का हिस्सा बनती है तो उसकी सामाजिक पहचान और सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता मजबूत होती है। समूह की बैठकें संवाद और विचार-विनिमय का मंच प्रदान करती हैं। इससे महिलाओं में सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का आत्मविश्वास विकसित होता है।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से संबंधित शोधों में सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण में सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किए गए हैं। महासमुंद जिले के एक अध्ययन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण दोनों में वृद्धि पाई गई। इसी प्रकार ग्रामीण छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज के प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को महिलाओं के सशक्तीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन से जोड़ा गया है।

IV. कमार महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

1. आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास

स्वयं सहायता समूहों में नियमित सहभागिता महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करती है। समूह की बैठक में बोलना, बचत का हिसाब रखना, ऋण संबंधी निर्णय लेना तथा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना महिलाओं को सार्वजनिक व्यवहार का अनुभव प्रदान



करता है। इससे उनमें यह भावना विकसित होती है कि वे परिवार और समुदाय के महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

2. पारिवारिक निर्णय-निर्माण में सहभागिता

सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेतक परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला जब स्वयं बचत करती है अथवा आय अर्जित करती है तो परिवार में उसकी आर्थिक उपयोगिता और निर्णय क्षमता दोनों बढ़ सकती हैं। शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, घरेलू खर्च, कृषि निवेश और सामाजिक कार्यक्रमों जैसे विषयों पर महिलाओं की राय को अधिक महत्व मिलने की संभावना रहती है।

3. सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि

कई ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं का सामाजिक संपर्क लंबे समय तक परिवार और निकट समुदाय तक सीमित रहता है। स्वयं सहायता समूह बैंक, पंचायत, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, कृषि विभाग और अन्य सरकारी संस्थाओं से संपर्क का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार महिलाओं की भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है।

4. नेतृत्व क्षमता का विकास

समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अथवा अन्य जिम्मेदारियाँ निभाने से महिलाओं को नेतृत्व का व्यावहारिक अनुभव मिलता है। छत्तीसगढ़ के स्वयं सहायता समूहों पर उपलब्ध अध्ययन में नेतृत्व को महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आयाम पाया गया है। कमार महिलाओं के संदर्भ में यह नेतृत्व क्षमता आगे चलकर ग्रामसभा, पंचायत और अन्य सामुदायिक संस्थाओं में सहभागिता को मजबूत कर सकती है।

5. शिक्षा और जागरूकता

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बालिका शिक्षा और सामाजिक अधिकारों से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। समूह सामूहिक सीखने का वातावरण तैयार करता है। विशेष रूप से कम साक्षर महिलाओं के लिए मौखिक चर्चा और सामूहिक प्रशिक्षण ज्ञान प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम हो सकते हैं।

6. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, पोषण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य महत्वपूर्ण विषय हैं। स्वयं सहायता समूह स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला सकते हैं। महिलाओं में स्वास्थ्य जांच, पोषण, स्वच्छता और बच्चों के टीकाकरण संबंधी जानकारी बढ़ाने में समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

7. सामाजिक रूढ़ियों में परिवर्तन

सामाजिक परिवर्तन केवल आय में वृद्धि नहीं बल्कि दृष्टिकोण में बदलाव भी है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सामूहिक चर्चा का अवसर देकर बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा में असमानता, नशाखोरी और अन्य सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक कर सकते हैं। इस प्रकार समूह पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के सकारात्मक पुनर्गठन में सहायक बनते हैं।

8. सामुदायिक सहभागिता

स्वयं सहायता समूह सामुदायिक समस्याओं पर सामूहिक कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। जल संरक्षण, स्वच्छता, विद्यालय उपस्थिति, पोषण, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे विषयों पर समूह सामुदायिक संस्थाओं के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं।

9. आर्थिक गतिविधि से सामाजिक प्रतिष्ठा

आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है। छत्तीसगढ़ के एक अध्ययन में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा हल्दी, मिर्च और धनिया जैसे प्रसंस्कृत उत्पादों के उत्पादन का उल्लेख मिलता है। कमार महिलाओं के लिए स्थानीय कृषि उत्पाद, लघु वनोपज, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य स्थानीय संसाधन आधारित गतिविधियाँ सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के अवसर पैदा कर सकती हैं।

10. सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता

व्यक्तिगत महिला की तुलना में संगठित समूह बाजार, बैंक और सरकारी संस्थाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है। लघु वनोपज के संग्रहण और विपणन में समूह आधारित गतिविधियाँ महिलाओं को बेहतर बाजार पहुँच तथा सामूहिक निर्णय का



अवसर दे सकती हैं। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूहों और लघु वनोपज के संबंध पर किए गए अध्ययन में इसी प्रकार की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

V. शोध के प्रमुख उद्देश्य

1. कमार जनजाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन करना।
2. स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं के आत्मविश्वास एवं निर्णय-निर्माण क्षमता में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करना।
3. महिलाओं की सामुदायिक एवं सामाजिक सहभागिता पर स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला नेतृत्व के विकास का मूल्यांकन करना।
5. कमार महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याओं की पहचान करना।
6. कमार महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाना।

VI. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प अपनाया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के कमार बहुल क्षेत्रों, विशेष रूप से गरियाबंद जिले को चयनित किया जा सकता है। सरकारी स्रोतों में कमार विकास अभिकरण का कार्यालय गरियाबंद में उल्लिखित है, जिससे यह क्षेत्र कमार समुदाय के अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक बनता है। प्राथमिक आँकड़ों के लिए कमार जनजाति की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का चयन किया जा सकता है। चयनित उत्तरदाताओं से संरचित साक्षात्कार अनुसूची, प्रत्यक्ष साक्षात्कार और समूह चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन को मापने के लिए निर्णय-निर्माण, सामाजिक सहभागिता, नेतृत्व, गतिशीलता, शिक्षा-जागरूकता, संस्थागत संपर्क और आत्मविश्वास जैसे संकेतकों को शामिल किया जा सकता है।

द्वितीयक आँकड़े जनगणना रिपोर्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्य सरकार के जनजातीय विकास संबंधी दस्तावेजों, शोध-पत्रों और संबंधित संस्थागत प्रकाशनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातीय समुदायों के लिए महिलाओं से संबंधित पृथक सांख्यिकीय सारणियाँ उपलब्ध हैं।

आँकड़ों के विश्लेषण में प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन, सहसंबंध तथा आवश्यकता के अनुसार पूर्व-पश्चात तुलना का उपयोग किया जा सकता है। गुणात्मक आँकड़ों के लिए विषय-वस्तु विश्लेषण अपनाया जा सकता है।

चर्चा

उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव केवल वित्तीय गतिविधियों तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में किए गए विभिन्न अध्ययनों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण में सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत किया है। उदाहरण के लिए, बिलासपुर क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन तथा निर्णय-निर्माण से संबंधित सुधार दर्ज किया गया। महासमुंद जिले में भी आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण में उल्लेखनीय सुधार पाया गया।

हालाँकि, इन निष्कर्षों को सीधे कमार महिलाओं पर लागू करने के बजाय कमार समुदाय की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कमार समुदाय के लिए उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में संदर्भित करते हैं, इसलिए सामान्य ग्रामीण महिला समूहों की तुलना में यहाँ संस्थागत समर्थन, स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण, बाजार पहुँच और निरंतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता अधिक हो सकती है।

VII. निष्कर्ष

कमार जनजाति की महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी माध्यम बन सकते हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को सामूहिकता, बचत, ऋण, आय-सृजन और कौशल विकास के साथ-साथ सामाजिक संवाद, नेतृत्व, निर्णय-निर्माण और सामुदायिक सहभागिता के अवसर प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध शोध साहित्य सामान्यतः यह संकेत करता है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हैं।



कमार समुदाय की विशिष्ट संवेदनशीलता को देखते हुए स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। समूह यदि स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, लघु वनोपज, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं को एकीकृत कर सकें तो वे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में दीर्घकालीन परिवर्तन ला सकते हैं। अतः कमार महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को केवल आर्थिक संगठन के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास के संस्थागत मंच के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय। (2020)। कमार एवं बिरहोर समुदाय के महिलाओं के सशक्तीकरण और सतत आजीविका हेतु क्षमता निर्माण पर अंतिम परियोजना रिपोर्ट। जनजातीय अनुसंधान एवं संसाधन भंडार।
2. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय। (2024)। जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023–24। भारत सरकार।
3. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय। (2026)। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्यवार सूची। भारत सरकार।
4. भारत सरकार, जनगणना आयुक्त कार्यालय। (2011)। जनगणना 2011: छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के लिए महिलाओं और विवाहित महिलाओं की आयु, जीवित बच्चों एवं कुल जीवित बच्चों से संबंधित सारणी। भारत सरकार।
5. साहू, बी. एल., एवं घोष, एस. (2018)। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण गरीबों के सशक्तीकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव। कृषि विस्तार प्रबंधन पत्रिका, 16(2), 51–65।
6. बोस, पी., सेंगर, आर. एस., एवं चतुर्वेदी, एस. एम. के. (2020)। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज, 9(5), 2858–2863।
7. गुप्ता, एस., एवं राठौर, एच. एस. (2021)। स्वयं सहायता समूह हस्तक्षेप के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का अध्ययन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, 24(1)।
8. गुप्ता, एस., एवं राठौर, एच. एस. (2019)। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, सामाजिक परिवर्तन एवं निर्णय-निर्माण: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का अध्ययन। थिंक इंडिया जर्नल।
9. साह, आई., सरकार, ए., बिस्वास, पी., पाल, पी., एवं सिंह, वाई. जे. (2018)। छत्तीसगढ़ में मत्स्य-आधारित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण। जर्नल ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 13(3), 419–425।
10. खोब्रागड़े, पी., गौराहा, ए. के., पाठक, एच., एवं चौधरी, वी. के. (2024)। महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका: छत्तीसगढ़ का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सोशल डेवलपमेंट, 7(7), 512–514।
11. सिंह, एस., श्रीधर, आर., एवं शर्मा, एम. एस. (2024)। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तीकरण और लघु वनोपज के सतत प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। द बायोस्केन, 19(विशेषांक-1), 434–439।
12. मैत्री, बी., सेंगर, आर. एस., सांगड़े, पी. के., स्वर्णकार, आर., निराला, पी. एस., एवं बाघमार, बी. के. (2025)। महासमुंद जिले में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सोशल डेवलपमेंट, 8(2), 182–184।
13. गौतम, वी. (2024)। ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका। इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल।
14. प्रसाद, के. (2024)। महिलाओं की आर्थिक स्थिति के उन्नयन में स्व-सहायता समूह की भूमिका। सिद्धांत इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, 2(1), 59–78।
15. बंजारे, एन., एवं सिंह, पी. (2025)। छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूहों की महिला लाभार्थियों की व्यावसायिक स्थिति: सशक्तीकरण एवं आर्थिक सहभागिता का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 7(3)।



16. मूवेंथन, पी., वर्मा, एच. पी., एवं सिंह, एस. (2025)। छत्तीसगढ़ की जनजातीय कृषक महिलाओं की आजीविका एवं सशक्तीकरण हेतु किसान प्रथम कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण पहल। इंडियन फार्मिंग, 75(10), 53-56।
17. भारत सरकार, जनगणना आयुक्त कार्यालय। (2011)। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों में धार्मिक समुदाय के अनुसार जनसंख्या: राज्य स्तर की सारणी। भारत सरकार।

